न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या 100/21 निर्णय दिनांकः– 6-4-2022
(जीसीएमएस संख्या 2021/106)

1. सुखमहेन्द्र सिंह पुत्र करतारसिंह जाति जटसिख निवासी सिंगपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़ हाल चक 21 बीएलडी तहसील पूगल जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 12–01–2000
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–
1. श्री सुरेन्दपाल शर्मा, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 12–01–2000 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को तहसील खाजुवाला के चक 21 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 235/01 में 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन दिनांक 14–02–1997 को किया गया था। आवंटन पश्चात् अपीलांट द्वारा 35 प्रतिशत राशि की प्रथम किश्त जरिये चालान संख्या 27 दिनांक 27–04–1997 द्वारा जमा करवाने के पश्चात् अदालत मातहत द्वारा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट के पक्ष में आवंटन पट्टा जारी कर दिया गया। इसके उपरान्त अपीलांट द्वारा द्वितीय किश्त राशि 12524/– जरिये चालान संख्या 114 दिनांक 21–11–1999 के माध्यम से जमा करवा दी गई। अपीलांट को आवंटन पश्चात् वादगत् भूमि का कब्जा भी प्रदान कर दिया गया था। उक्त स्थिति पत्रावली पर उपलब्ध होने के बावजूद भी अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज कर दिया गया। इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है।

उन्होनें आगे बताया कि विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत आदेश होने के कारण निरस्त योग्य आदेश है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश रिकार्ड का अवलोकन किये बिना एसीसी के आदेश कमांक एस –1 दिनांक 12–01–2000 के आधार पर खारिज किया गया है। अदालत मातहत द्वारा अपने स्तर पर कोई नोटिस व सूचना अपीलांट को नहीं दी गई है। अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि की किश्तें जमा करवाने के उपरान्त भी अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया गया है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 12–01–2000 के विरूद्व अपील दिनांक 16–06–21 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

मियाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 12–01–2000 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 16–06–2021 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में बिना नोटिस अथवा सूचना दिये खारिज किया गया है जबकि पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजों के अनुसार किश्तें निरन्तर जमा करवाये जाने का उल्लेख है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, आवंटन अधिकारी द्वारा दिनांक 14–02–1997 को अपीलांट के पक्ष में वादग्रस्त भूमि चक 21 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 235/01 में 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया। वादग्रस्त भूमि के आवंटन पश्चात् अपीलांट द्वारा प्रथम किश्त राशि 20240/–जरिये चालान संख्या 27 दिनांक 17–04–1997 द्वारा जमा करवाने के पश्चात् अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के पक्ष में आवंटन पट्टा जारी कर दिया गया। इसके उपरान्त अपीलांट द्वारा द्वितीय किश्त राशि 12524/– जरिये चालान संख्या 114 दिनांक 21–11–1999 के माध्यम से जमा करवा दी गई। जिसका अंकन पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजों के माध्यम से साबित है। अपीलांट वादग्रस्त भूमि के बाबत् बकाया किश्तों के भुगतान हेतु तैयार है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त स्थितियों के बावजूद भी दिनांक 12–01–2000 को सेल रजिस्टर में "एसीसी आदेशांक एस–1 दिनांक 12–01–2000 द्वारा किश्तों के अभाव में खारिज" का नोट लगाया। जब किश्तें लगातार जमा हो रही थी तो खारिज का नोट लगाया जाना मनमानी

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

कार्यवाही है। खारिजी आदेश अस्पष्ट है। 03 साल तक लगातार किश्तें जमा करवाने के उपरान्त मनमाने पूर्ण तरीके से एक लाईन के आदेश से आवंटन खारिज करना अविवेकपूर्ण कार्यवाही है। उक्त कार्यवाही से पूर्व अपीलांट/आवंटी को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया तथा उसकी पीठ पीछे आदेश पारित कर दिया गया तथा उक्त आदेश की सूचना भी आवंटी को नहीं दी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत राजस्व दस्तावेजों का भी अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलांट के आवंटन पश्चात् वादग्रस्त भूमि के बाबत् नामान्तरणकरण संख्या 114 दिनांक 21—11—1997 दर्ज किया जा चुका था। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि के बाबत् अधिकार अपीलांट क उत्पन्न हो चुके थे। लिहाजा अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य की श्रेणी में नहीं आता है।

प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2073—2076 के अनुसार वादग्रस्त भूमि चक 21 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 235/01 में 25 बीघा के किला नम्बर 1 ता 25 की 25 बीघा भूमि आज दिनांक तक अन्य किसी व्यक्ति को आवंटित नहीं होकर राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की सहायक आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 12—01—2000 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि अन्य किसी को आवंटित/अन्य किसी प्रयोजनार्थ आरक्षित नहीं होने की दशा में राज्य सरकार द्वारा विशेष आवंटन हेतु समय—समय पर जारी परिपत्रों के अनुसरण में अपीलांट् की आज दिनांक की पात्रता की जॉच करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 6/4/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

6/4/2022

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर